



भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र

विज्ञापन सं. वीईसीसी-01/2021

आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि: 20.05.2021

“सरकार ऐसे कार्यबल के लिए प्रयत्नशील है जिसमें पुरुष तथा महिला अभ्यर्थियों की संख्या में संतुलन बना रहे और महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है”

वीईसीसी (परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र), कोलकाता में निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों (केवल भारतीय नागरिक) से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। विज्ञापित पदों में बैकलॉग रिक्तियां भी शामिल हैं।

I. विज्ञापित पद:

पद कोड	पद का नाम	पदों की संख्या							
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	ई.डब्ल्यू.एस.	पीडब्ल्यूडी (अ.पि.वर्ग)	अनारक्षित ई.एस.एम.	अनारक्षित	कुल
	सीधी भर्ती								
DR/01	महिला नर्स 'ए'	00	00	00	00	00	00	01	01
DR/02	सब-ऑफिसर 'बी'	00	00	00	00	00	00	01	01
DR/03	ड्राईवर (सामान्य ग्रेड)	00	00	01	01	00	00	00	03
DR/04	कार्य सहायक 'ए'	00	01	01	01	00	00	02	05
DR/05	कैंटीन परिचारक	01	00	01	00	00	00	00	02
	कुल	01	01	03	02	00	01	04	12
	वैतनिक प्रशिक्षु								
TR/01	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-I (भौतिकी)	01	00	01	01	00	00	01	04
TR/02	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-I (इलेक्ट्रॉनिक्स)	01	00	02	00	01	00	01	05
TR/03	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-I (मैकेनिकल)	00	00	01	00	00	00	00	01
TR/04	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-I (सिविल)	00	00	00	00	00	00	01	01
	कुल	02	00	04	01	01	00	03	11
TR/05	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-II (भौतिकी)	00	00	01	01	00	00	01	03
TR/06	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-II (कम्प्यूटर)	00	00	00	01	01	00	00	02
TR/07	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-II (इलेक्ट्रॉनिक्स)	02	01	02	00	00	00	04	09
TR/08	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-II (इंस्ट्रुमेंटेशन)	00	00	00	00	00	00	01	01
TR/09	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-II (इलेक्ट्रिकल)	01	01	02	00	00	00	02	06
TR/10	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-II (मशीनिस्ट)	01	00	00	01	00	00	01	03
TR/11	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-II (फिटर)	00	01	01	00	00	00	00	02
TR/12	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-II (रेफ्रिजरेशन/एयर कंडिशनिंग)	01	00	01	00	00	00	01	03
	कुल	05	03	07	03	01	00	10	29

II. शैक्षणिक / तकनीकी योग्यताएं तथा अनुभव:

पद कोड	पद का नाम	शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता तथा अनुभव
DR/01	महिला नर्स 'ए'	<p>उच्च माध्यमिक/XII स्तर तथा नर्सिंग और मिडवाइफरी में डिप्लोमा (3 वर्ष का पाठ्यक्रम) + भारत के किसी केंद्रीय/राजकीय काउंसिल से 'ए' ग्रेड के नर्स का वैध पंजीकरण होना चाहिए।</p> <p>अथवा</p> <p>बी.एससी. (नर्सिंग)</p> <p>[बी.एससी. में नर्सिंग की डिग्री रखने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती के समय, दो अतिरिक्त वेतनवृद्धि (नॉन एबजॉर्बेबल) प्रदान किये जाने पर विचार किया जा सकता है।]</p>
DR/02	सब-ऑफिसर/बी	<p>50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्च माध्यमिक (10+2) (रसायन शास्त्र के साथ विज्ञान वर्ग) अथवा समकक्ष + राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर से सब-ऑफिसर पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण और नीचे दिये गये बिंदुओं (i) और (ii) में से कोई भी हो:</p> <p>(i) 12 वर्षों (5 वर्ष लीडिंग फायरमैन के रूप में) का अनुभव, जिसमें से अपेक्षित योग्यता को प्राप्त कर लेने के बाद कम से कम 2 वर्षों का संबंधित अनुभव अवश्य होना चाहिए।</p> <p>अथवा</p> <p>(ii) फायरमैन/ड्राइवर-कम-ऑपरेटर का संबंधित 15 वर्षों का अनुभव जिसमें से अपेक्षित योग्यता को प्राप्त कर लेने के बाद कम से कम 2 वर्षों का संबंधित अनुभव अवश्य होना चाहिए।</p> <p>[भारी वाहन का वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।]</p>
DR/03	ड्राइवर (सामान्य ग्रेड)	<p>आवश्यक: (i) माध्यमिक पास होना चाहिए; (ii) वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जिससे कि हल्के अथवा भारी वाहन चला सकें; (iii) मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान (ताकि अभ्यर्थी वाहन में किसी भी प्रकार की छोटी-मोटी खराबी को दूर कर सकें); (iv) हल्के अथवा भारी वाहन को चलाने का कम से कम 3 वर्षों का संयुक्त रूप से अनुभव होना चाहिए।</p> <p>अपेक्षित: दो पहिया वाहनों को चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।</p>
DR/04	कार्य सहायक 'ए'	माध्यमिक स्तर पास
DR/05	कैंटीन परिचारक	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्थान से माध्यमिक अथवा समकक्ष पास होना चाहिए।

TR/01	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-I (भौतिकी)	कम से कम 60 प्रतिशत अंकों सहित बी.एससी. (भौतिकी मुख्य विषय होना चाहिए और गणित/रसायन शास्त्र/सांख्यिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स/कम्प्यूटर विज्ञान आदि अतिरिक्त विषय होने चाहिए)
TR/02	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-I (इलेक्ट्रॉनिक्स)	इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी में डिप्लोमा*
TR/03	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-I (मैकेनिकल)	मैकेनिकल इंजीनियरी में डिप्लोमा*
TR/04	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-I (सिविल)	सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा*
* कम से कम, कुल 60 प्रतिशत अंकों के साथ डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए और डिप्लोमा की अवधि, माध्यमिक परीक्षा के बाद या तो 3 वर्ष होनी चाहिए या उच्च माध्यमिक परीक्षा के बाद 2 वर्ष की होनी चाहिए।		
TR/05	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-II (भौतिकी)	संबंधित ट्रेड में कम से कम 2 वर्षों के ट्रेड का प्रमाणपत्र सहित माध्यमिक (दसवीं स्तर) में कम से कम 60 प्रतिशत अंक। अथवा
TR/06	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-II (कम्प्यूटर)	भौतिकी, रसायन शास्त्र और गणित विषयों के साथ विज्ञान वर्ग से उच्च माध्यमिक (बारहवीं स्तर) में कम से कम 60 प्रतिशत अंक।
TR/07	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-II (इलेक्ट्रॉनिक्स)	संबंधित ट्रेड में ट्रेड प्रमाणपत्र के साथ माध्यमिक (विज्ञान और गणित सहित) में कम से कम कुल 60 प्रतिशत अंक।
TR/08	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-II (इन्स्ट्रुमेंटेशन)	ट्रेड प्रमाणपत्र के संबंध में, अभ्यर्थियों को निम्नलिखित में से किन्हीं एक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा: 2 वर्ष की अवधि का एन.टी.सी. (आई.टी.आई. पास)
TR/09	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-II (इलेक्ट्रिकल)	अथवा
TR/10	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-II (मशीनिस्ट)	अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के अधीन दो वर्षों की अवधि का एन.ए.सी. अथवा
TR/11	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-II (फिटर)	1 वर्ष की अवधि का एन.टी.सी. (आई.टी.आई. पास) और इसके साथ पाठ्यक्रम के पूरा हो जाने पर संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव।
TR/12	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-II (रेफ्रीजेशन/एयर कंडीशनिंग)	अथवा 1 वर्ष की अवधि का एन.टी.सी. (आई.टी.आई. पास) और इसके साथ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के अधीन कम से कम एक वर्ष की अवधि का एन.ए.सी.।

III. 20.05.2021 को आयु सीमा, परिलब्धियां/वेतन, सेवा का वर्ग:

पद कोड	पद का नाम	सेवा का वर्ग	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	प्रारंभिक वेतन (रु.)	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु			
						अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	अनारक्षित
	सीधी भर्ती								
DR/01	महिला नर्स 'ए'	ब	7	44900/-	18	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	30
DR/02	सब ऑफिसर/बी	ब	6	35400/-	18	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	40
DR/03	डाईवर (सामान्य ग्रेड)	ग	2	19900/-	18	लागू नहीं	लागू नहीं	30	27
DR/04	कार्य सहायक 'ए'	ग	1	18000/-	18	लागू नहीं	32	30	27
DR/05	कैटीन परिचारक	ग	1	18000/-	18	32	लागू नहीं	30	लागू नहीं
	<ul style="list-style-type: none"> प्रारंभिक वेतन के अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार के नियमों के अधीन स्वीकार्य भत्ते भी प्रदान किये जायेंगे। सब-ऑफिसर/बी: उत्कृष्ट मेधा एवं लंबे अनुभव वाले अभ्यर्थियों और विभागीय अभ्यर्थियों के मामले में, अधिकतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्षों की छूट दी जायेगी। 								
	वैतनिक प्रशिक्षु		वृत्तिका (रु.)		न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु			
						अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वर्ग	अनारक्षित
TR/01	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-I (भौतिकी)	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष	16000/- 18000/-		18	29	लागू नहीं	27	24
TR/02	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-I (इलेक्ट्रॉनिक्स)				18	29	लागू नहीं	27	24
TR/03	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-I (मैकेनिकल)				18	लागू नहीं	लागू नहीं	27	24
TR/04	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-I (सिविल)				18	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	24
TR/05	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-II (भौतिकी)	प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष	10500/- 12500/-		18	लागू नहीं	लागू नहीं	25	22
TR/06	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-II (कम्प्यूटर)				18	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	22
TR/07	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-II (इलेक्ट्रॉनिक्स)				18	27	27	25	22
TR/08	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-II (इन्स्ट्रुमेंटेशन)				18	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	22
TR/09	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-II (इलेक्ट्रिकल)				18	27	27	25	22
TR/10	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-II (मशीनिस्ट)				18	27	लागू नहीं	लागू नहीं	22
TR/11	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-II (फिटर)				18	लागू नहीं	27	25	22
TR/12	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-II (रेफ्रीजेशन/एयर कंडीशनिंग)				18	27	लागू नहीं	25	22

नोट: मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष प्रमाणपत्र/म्यूनिसिपल जन्म प्रमाणपत्र में दिखाई गई जन्म तिथि को ही केवल स्वीकार किया जायेगा। बाद में इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

दिव्यांग (पी.डब्ल्यू.डी.) (दिव्यांग) लोगों के लिये चिह्नित पद:

पद कोड	पद का नाम	आरक्षित श्रेणी	
TR/02	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-I (इलेक्ट्रॉनिक्स)	श्रवण बाधित	HH: श्रवण बाधित या क्षीण (आंशिक रूप से बधिर)
TR/06	वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-II (कम्प्यूटर)	श्रवण बाधित/ अस्थि दिव्यांग	HH: श्रवण बाधित या क्षीण (आंशिक रूप से बधिर) OH: अस्थि दिव्यांग (OL: एक पैर से प्रभावित)

[नोट: "श्रवण दोष" का अर्थ है वार्तालाप की सीमा की आवृत्ति में स्वस्थ कान की स्थिति में 60 डेसीबल या उससे अधिक की कमी होना। दिव्यांग व्यक्तियों की शारीरिक विरूपता 40 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।]

अधिकतम आयु सीमा में छूट निम्न प्रकार से दी जायेगी:

1.	चिन्हित पद (पदों) के लिये दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी-ओबीसी) हेतु 13 वर्षों तक की छूट।
2.	भूतपूर्व सैनिकों के लिये आयु में छूट सरकारी आदेशों के आधार पर प्रदान की जायेगी (मिलिट्री सेवा की अवधि + 3 वर्ष) (केवल सीधी भर्ती के लिये लागू (जिनका पद कोड DR है))
3.	विभागीय अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को समान ग्रेड अथवा संबंधित वर्ग में कम से कम 3 वर्षों की नियमित सेवा की है, वे भारत सरकार के आदेशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे। (केवल सीधी भर्ती वाले DR पदों के लिये लागू)
4.	वैसे अभ्यर्थी जिनके बच्चे/परिवार के सदस्य 1984 के दंगों में मारे गये थे, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जायेगी।
5.	वैसे अभ्यर्थी जो सरकारी आदेशों के अनुसार, दिनांक 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसंबर, 1989 तक की अवधि के दौरान, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कश्मीर प्रभाग में अस्थायी रूप से निवास कर रहे थे, उनके लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट स्वीकार्य होगी। हालांकि, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेशों के संबंध में, भारत सरकार के आदेशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट लागू होगी।
6.	विधवा, तलाकशुदा महिलाएं और वैसी महिलाएं जो कानूनी रूप से अपने पति से अलग हुई हैं और जिन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया है, ऐसी महिलाएं, भारत सरकार के आदेशों के अनुसार, अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के लिये पात्र होंगी। (केवल सीधी भर्ती वाले DR पदों के लिये लागू)
7.	मेधावी खिलाड़ी भी भारत सरकार के आदेशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के लिये पात्र हैं (केवल सीधी भर्ती के लिये लागू (जिनका पद कोड DR है))

IV. चयन की प्रक्रिया

पद कोड	चयन की प्रक्रिया									
DR/01	<p>चयन की प्रक्रिया में तीन चरणों में परीक्षाएं होंगी - चरण-1, चरण-2 और चरण-3</p> <p>चरण-1: प्रारंभिक परीक्षा: अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किये जाने के लिये स्क्रिनिंग परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। स्क्रिनिंग परीक्षा का स्वरूप सभी ट्रेडों/विषयों के लिये एक जैसा ही होगा और जिसका स्वरूप निम्नलिखित होगा:</p> <p>1. परीक्षा में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे (जिसमें उत्तर के लिये 4 विकल्प होंगे) और परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी जिसमें निम्नलिखित विषयों से प्रश्न पूछे जायेंगे:</p> <table border="0"> <tr> <td>क. गणित</td> <td>-</td> <td>20 प्रश्न</td> </tr> <tr> <td>ख. विज्ञान</td> <td>-</td> <td>20 प्रश्न</td> </tr> <tr> <td>ग. सामान्य जागरूकता</td> <td>-</td> <td>10 प्रश्न</td> </tr> </table> <p>2. प्रत्येक सही उत्तर के लिये '3' अंक दिये जायेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिये '1' अंक काट लिये जायेंगे।</p> <p><i>सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें स्क्रीन आऊट कर दिया जायेगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये, न्यूनतम कट-ऑफ 30 प्रतिशत से कम के नीचे नहीं रखा जायेगा।</i></p> <p>चरण-2: अग्रवर्ती परीक्षा: चरण-1 में स्क्रीन-इन किये गये सभी अभ्यर्थियों को उनके संबंधित ट्रेड/विषय के अनुसार, चरण-2 (अग्रवर्ती परीक्षा) की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी।</p> <p>1. परीक्षा में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे (जिसमें उत्तर के लिये 4 विकल्प होंगे) और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी।</p> <p>2. प्रत्येक सही उत्तर के लिये '3' अंक दिये जायेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिये '1' अंक काट लिये जायेंगे।</p>	क. गणित	-	20 प्रश्न	ख. विज्ञान	-	20 प्रश्न	ग. सामान्य जागरूकता	-	10 प्रश्न
क. गणित	-	20 प्रश्न								
ख. विज्ञान	-	20 प्रश्न								
ग. सामान्य जागरूकता	-	10 प्रश्न								

	<p>3. चरण-2 की समाप्ति पर, अभ्यर्थियों द्वारा केवल चरण-2 में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर उनकी मेधा सूची तैयार की जायेगी।</p> <p><i>सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें स्क्रीन आऊट कर दिया जायेगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये, न्यूनतम कट-ऑफ 20 प्रतिशत से कम के नीचे नहीं रखा जायेगा।</i></p> <p>चरण-3: कौशल परीक्षा:</p> <p>1. चरण-2 की समाप्ति पर तैयार की गई मेधा सूची के आधार पर, अभ्यर्थियों को चरण-3 (कौशल परीक्षा) की परीक्षा के लिये शॉर्टलिस्ट किया जायेगा।</p> <p>2. कौशल परीक्षा के लिये शॉर्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों की संख्या, चरण-2 में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर निर्भर होगी। लेकिन यह संख्या प्रत्येक ट्रेड/विषय के लिये दर्शाई गई रिक्ति के 4-5 गुणा से अधिक नहीं होगी।</p> <p>3. कौशल परीक्षा “Go/No-GO” के आधार पर आयोजित की जायेगी।</p> <p>4. कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जायेगा और चरण-2 में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर मेधा सूची के क्रम में उनका एम्पैनलमेंट किया जायेगा।</p>
<p>DR/02</p>	<p>चयन की प्रक्रिया में तीन चरणों में परीक्षाएं होंगी – चरण-1, चरण-2 और चरण-3</p> <p>चरण-1: वैसे अभ्यर्थी जो पात्रता की अपेक्षित शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें नीचे दिये गये टेबल-1 के अनुसार, शारीरिक मापदंड की जांच के लिये बुलाया जायेगा। वैसे अभ्यर्थी जो शारीरिक मापदंड की शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें नीचे टेबल-2 में दिये गये मानदंड के अनुसार, शारीरिक मापदंड जांच से गुजरना होगा।</p> <p>चरण-2: प्रारंभिक परीक्षा: चरण-1 में उत्तीर्ण हुए और शॉर्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी। परीक्षा में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे (जिसमें उत्तर के लिये 4 विकल्प होंगे) और परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी। (गणित-20 प्रश्न, विज्ञान-20 प्रश्न और सामान्य जानकारी-10 प्रश्न)। मूल्यांकन का तरीका: प्रत्येक सही उत्तर के लिये ‘3’ अंक दिये जायेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ‘1’ अंक काट लिये जायेंगे।</p> <p><i>नोट: सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें स्क्रीन आऊट कर दिया जायेगा। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिये, न्यूनतम कट-ऑफ 30 प्रतिशत से कम के नीचे नहीं रखा जायेगा।</i></p> <p>चरण-3: अग्रवर्ती परीक्षा:</p> <p>1. चरण-2 (प्रारंभिक परीक्षा) की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और शॉर्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थी, अग्रवर्ती परीक्षा में बैठने के लिये पात्र होंगे जिसमें संबंधित ट्रेड/विषय के 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी।</p> <p>2. 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों (जिसमें उत्तर के लिये 4 विकल्प होंगे) में, प्रत्येक सही उत्तर के लिये ‘3’ अंक दिये जायेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ‘1’ अंक काट लिये जायेंगे।</p> <p><i>सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें स्क्रीन आऊट कर दिया जायेगा। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिये, न्यूनतम कट-ऑफ 20 प्रतिशत से कम के नीचे नहीं रखा जायेगा। अंतिम मेधा सूची चरण-3 में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी।</i></p>
<p>DR/03</p>	<p>चयन की प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <p>लेवल 1 परीक्षा: लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) – सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धिमता, प्रारंभिक गणित एवं सामान्य अंग्रेजी और हिन्दी। ड्राइविंग तकनीक और मोटरकार मैकेनिज्म का उद्देश्य होगा ड्राइविंग कौशल और इसकी प्रक्रियाओं, ड्राइवर के कर्तव्य, ईंधन की क्षमता और ईंधन का प्रबंधन, वाहन का बुनियादी रखरखाव, सर्विसिंग, आपातकाल के समय में वाहन को सही तरीके से संचालित करने की तकनीक, वाहन के साथ रखे जाने वाले उपकरण और दस्तावेज, वाहनों के प्रकार, ट्रैफिक के नियम व विनियम, ट्रैफिक सिग्नलों को</p>

	<p>पहचानने की क्षमता, ट्रैफिक के चिह्न, हाथ से दिये जाने वाले सिग्नल और रोड की मार्किंग, वाहन प्रणाली आदि की एसेम्बली के बारे में सामान्य पूछताछ की जानकारी की जांच करना।</p> <p>लेवल-1 परीक्षा में अधिकाधिक संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेने की स्थिति में, अभ्यर्थियों को लेवल-2 की परीक्षा के लिये शॉर्टलिस्ट किया जायेगा। लगभग 20 रिक्तियों तक, अभ्यर्थियों को लेवल-1 की परीक्षा के आधार पर, 1:20 के अनुपात में शॉर्टलिस्ट किया जायेगा अर्थात हर एक रिक्ति के लिये, 20 अभ्यर्थियों को लेवल-2 परीक्षा के लिये बुलाया जायेगा।</p> <p>लेवल 2 परीक्षा: ड्राइविंग परीक्षा: इसका उद्देश्य ड्राइविंग में कुशलता की जांच करना है और मोटर ड्राइविंग, मोटर मैकेनिक्स और ट्रैफिक के नियमों व विनियमों की जानकारी की जांच करना है। इसके एम्पैनलमेंट की प्रक्रिया, लेवल-1 और लेवल-2 की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों द्वारा किये गये प्रदर्शन पर आधारित है।</p> <p>लेवल-1 और लेवल-2 की परीक्षाओं के लिये दिया गया भार निम्नलिखित है:</p> <p>लेवल-1: वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा: 40 प्रतिशत लेवल-2: ड्राइविंग परीक्षा: 60 प्रतिशत</p> <p><i>अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम अर्हता अंक 50 प्रतिशत होगा और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये यह 40 प्रतिशत होगा।</i></p>
DR/04	<p>अभ्यर्थियों का चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही किया जायेगा। लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी और अंकगणित से प्रश्न पूछे जायेंगे।</p> <p>लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में, मेधा सूची में स्थान का निर्णय करने के लिये श्रृंखलाबद्ध तरीके से निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> अभ्यर्थी की कक्षा दसवीं में कुल अंकों का प्रतिशत अधिक होने पर, अभ्यर्थी को मेधा सूची में उच्चतर स्थान प्रदान किया जायेगा। जिन अभ्यर्थियों की आयु अधिक होगी, उन्हें मेधा सूची में उच्चतर स्थान प्रदान किया जायेगा।
DR/05	<p>अभ्यर्थियों का चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही किया जायेगा। लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी और अंकगणित से प्रश्न पूछे जायेंगे।</p> <p>लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में, मेधा सूची में स्थान का निर्णय करने के लिये श्रृंखलाबद्ध तरीके से निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> कक्षा दसवीं में कुल अंकों का प्रतिशत अधिक होने पर, अभ्यर्थी को मेधा सूची में उच्चतर स्थान प्रदान किया जायेगा। जिन अभ्यर्थियों की आयु अधिक होगी, उन्हें मेधा सूची में उच्चतर स्थान प्रदान किया जायेगा।
TR/01 से TR/04	<p>1. 1 घंटे की लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा और इसमें 40 बहुविकल्पीय प्रश्न (जिसमें उत्तर के लिये 4 विकल्प) होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिये '3' अंक दिये जायेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिये '1' अंक काट लिये जायेंगे।</p> <p>परीक्षा का पाठ्यक्रम, डिप्लोमा/बी.एससी स्तर के विषयों पर आधारित होगा।</p> <p>2. वैसे अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें साक्षात्कार हेतु शॉर्टलिस्ट किया जायेगा।</p> <p>3. अभ्यर्थियों का अंतिम चयन साक्षात्कार में उनके द्वारा किये गये प्रदर्शन के आधार पर किया जायेगा और लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों को कोई भार नहीं दिया जायेगा। इस संबंध में, इस अनुसंधान केंद्र द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम और बाध्य होगा।</p>
TR/05 से TR/12	<p>चयन की प्रक्रिया में तीन चरणों में परीक्षाएं होंगी - चरण-1, चरण-2 और चरण-3</p> <p>चरण-1: प्रारंभिक परीक्षा: अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किये जाने हेतु स्क्रिनिंग परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। स्क्रिनिंग परीक्षा का स्वरूप सभी ट्रेडों/विषयों के लिये एक जैसा ही होगा जिसका स्वरूप निम्नलिखित होगा:</p>

	<p>1. परीक्षा में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे (जिसमें उत्तर के लिये 4 विकल्प होंगे) और परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी जिसमें निम्नलिखित विषयों से प्रश्न पूछे जायेंगे:</p> <p>क. गणित - 20 प्रश्न ख. विज्ञान - 20 प्रश्न ग. सामान्य जागरूकता - 10 प्रश्न</p> <p>2. प्रत्येक सही उत्तर के लिये '3' अंक दिये जायेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिये '1' अंक काट लिये जायेंगे।</p> <p><i>सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें स्क्रीन आऊट कर दिया जायेगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये, न्यूनतम कट-ऑफ 30 प्रतिशत से कम के नीचे नहीं रखा जायेगा।</i></p>	
	<p>चरण-2: अग्रवर्ती परीक्षा: चरण-1 में स्क्रीन-इन किये गये सभी अभ्यर्थियों को उनके संबंधित ट्रेड/विषय के अनुसार, चरण-2 (अग्रवर्ती परीक्षा) की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी।</p> <p>1. परीक्षा में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे (जिसमें उत्तर के लिये 4 विकल्प होंगे) और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी।</p> <p>2. प्रत्येक सही उत्तर के लिये '3' अंक दिये जायेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिये '1' अंक काट लिये जायेंगे।</p> <p>3. चरण-2 की समाप्ति पर, अभ्यर्थियों द्वारा केवल चरण-2 में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर उनकी मेधा सूची तैयार की जायेगी।</p> <p><i>सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जो 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें स्क्रीन आऊट कर दिया जायेगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये, न्यूनतम कट-ऑफ 20 प्रतिशत से कम के नीचे नहीं रखा जायेगा।</i></p>	
	<p>चरण-3: कौशल परीक्षा:</p> <p>1. चरण-2 की समाप्ति पर तैयार की गई मेधा सूची के आधार पर, अभ्यर्थियों को चरण-3 (कौशल परीक्षा) की परीक्षा के लिये शॉर्टलिस्ट किया जायेगा।</p> <p>2. चरण-2 की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर, कौशल परीक्षा के लिये शॉर्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों की संख्या निर्भर होगी। लेकिन यह संख्या प्रत्येक ट्रेड/विषय के लिये दर्शाई गई रिक्ति से 4-5 गुणा से अधिक नहीं होगी।</p> <p>3. कौशल परीक्षा "Go/No-GO" के आधार पर आयोजित की जायेगी।</p> <p>4. कौशल परीक्षा में उन्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जायेगा और चरण-2 में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर मेधा सूची के क्रम में उनका एम्पैनलमेंट किया जायेगा।</p>	
<p>टेबल-1: अग्निशमन सेवा के पदों के लिये शारीरिक मापदंड (DR/02)</p>		
1.	विकृति रहित	
2.	ऊंचाई	165 सें.मी. (न्यूनतम)
3.	वजन	50 कि.ग्रा. (न्यूनतम)
4.	सीना	81 सें.मी. (सामान्य) तथा न्यूनतम 86 सें.मी. (फुलाकर)
5.	दृष्टि	(क) 6/6, बिना चश्मे या किसी अन्य उपकरण/यंत्र का प्रयोग किये। (ख) रतौंधी/वर्णान्धता अयोग्यता के लिये उत्तरदायी होगी।

टेबल-2: शारीरिक जांच परीक्षा (DR/02)
शारीरिक जांच परीक्षा का विवरण: सब-ऑफिसर/बी के पद हेतु

क्र.सं.	परीक्षा का विवरण	अभ्यर्थियों की आयु के अनुसार		
		40 वर्ष तक	40-45 वर्ष के बीच	45-50 वर्ष के बीच
1.	100 मीटर की दौड़ में सक्षम	25 सेकेंड	28 सेकेंड	30 सेकेंड
2.	यंत्र/मशीन से 15 मीटर की लंबाई वाले 4 होज को बिछाने में सक्षम	3 मिनट 3 मिनट तक: 10 अंक 3-4 मिनट के बीच: 8 अंक 4-5 मिनट के बीच: 6 अंक 5 मिनट से अधिक: कोई अंक नहीं	4 मिनट 4 मिनट तक: 10 अंक 4-5 मिनट के बीच: 8 अंक 5-6 मिनट के बीच: 6 अंक 6 मिनट से अधिक: कोई अंक नहीं	5 मिनट 5 मिनट तक: 10 अंक 5-6 मिनट के बीच: 8 अंक 6-7 मिनट के बीच: 6 अंक 7 मिनट से अधिक: कोई अंक नहीं
3.	10 मीटर लंबाई वाली एक्सटेंशन सीढ़ी पर दो बार चढ़ने और उतरने में सक्षम	2 मिनट 2 मिनट तक: 10 अंक 2-3 मिनट के बीच: 8 अंक 3-4 मिनट के बीच: 6 अंक 4 मिनट से अधिक: कोई अंक नहीं	3 मिनट 3 मिनट तक: 10 अंक 3-4 मिनट के बीच: 8 अंक 4-5 मिनट के बीच: 6 अंक 5 मिनट से अधिक: कोई अंक नहीं	4 मिनट 4 मिनट तक: 10 अंक 4-5 मिनट के बीच: 8 अंक 5-6 मिनट के बीच: 6 अंक 6 मिनट से अधिक: कोई अंक नहीं
4.	फायरमैन लिफ्ट विधि द्वारा लगभग अपने वजन के बराबर के किसी व्यक्ति को 25 मीटर तक उठाकर ले जाना	3 मिनट 3 मिनट तक: 10 अंक 3-4 मिनट के बीच: 8 अंक 4-5 मिनट के बीच: 6 अंक 5 मिनट से अधिक: कोई अंक नहीं	4 मिनट 4 मिनट तक: 10 अंक 4-5 मिनट के बीच: 8 अंक 5-6 मिनट के बीच: 6 अंक 6 मिनट से अधिक: कोई अंक नहीं	5 मिनट 5 मिनट तक: 10 अंक 5-6 मिनट के बीच: 8 अंक 6-7 मिनट के बीच: 6 अंक 7 मिनट से अधिक: कोई अंक नहीं
5.	पुश-अप करने में सक्षम	लगातार 20 पुश-अप: 10 अंक (कम पुश-अप के लिये समान अनुपात में अंक)	लगातार 15 पुश-अप: 10 अंक (कम पुश-अप के लिये समान अनुपात में अंक)	लगातार 12 पुश-अप: 10 अंक (कम पुश-अप के लिये समान अनुपात में अंक)
6.	1.6 कि.मी. दौड़ने में सक्षम	10 मिनट 10 मिनट तक: 10 अंक 10-11 मिनट के बीच: 8 अंक 11-12 मिनट के बीच: 6 अंक 12 मिनट से अधिक: कोई अंक नहीं	12 मिनट 12 मिनट तक: 10 अंक 12-13 मिनट के बीच: 8 अंक 13-14 मिनट के बीच: 6 अंक 14 मिनट से अधिक: कोई अंक नहीं	14 मिनट 14 मिनट तक: 10 अंक 14-15 मिनट के बीच: 8 अंक 15-16 मिनट के बीच: 6 अंक 16 मिनट से अधिक: कोई अंक नहीं
7.	रस्सी/सीधी पाईप पर चढ़ना	3 मीटर: 10 अंक 2.5-3 मीटर: 8 अंक 2-2.5 मीटर: 6 अंक 2 मीटर से कम: कोई अंक नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

नोट:

1.	उपरोक्त के अलावा, सब-ऑफिसर पद के अभ्यर्थी शारीरिक प्रशिक्षण, स्क्वाड ड्रिल, फायर फाईटिंग ड्रिल, फायर-फाईटिंग/ट्रेलर पम्प ऑपरेशन का आयोजन कराने में सक्षम होने चाहिए।
2.	ऊपर क्र.सं. 1 की परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है और इसमें पास न होने पर अभ्यर्थी को भर्ती के लिए अनफिट घोषित कर दिया जायेगा और इसके बाद अभ्यर्थी आगे की जांच परीक्षाओं में उपस्थित नहीं हो पायेंगे।
3.	क्र.सं. 2 से लेकर क्र.सं.7 (इनका भार समान लिया जायेगा) की जांच परीक्षाओं को मिलाकर, इसमें अर्हता प्राप्त करने के लिये अंकों का प्रतिशत, औसतन 90 प्रतिशत या उससे अधिक होगा।

V. TR/01 से लेकर TR/12 (वैतनिक प्रशिक्षु, श्रेणी-I एवं II) के लिये अन्य शर्तें:

1.	शारीरिक मापदंड: न्यूनतम ऊंचाई: 160 सें.मी. न्यूनतम वजन: 45.5 कि.ग्राम (अगर अभ्यर्थी चिकित्सीय रूप से उपयुक्त है, तो इसमें छूट दी जायेगी)			
2.	प्रशिक्षण की कुल अवधि: दो वर्ष			
3.	प्रशिक्षण का दायरा: चयनित अभ्यर्थियों को प्रत्येक विषय/ट्रेड के लिये निर्धारित किये गये पाठ्यक्रम के अनुसार तथा वीईसीसी की निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, संबंधित विषयों/ट्रेडों के विभिन्न पहलुओं पर कोलकाता में प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभ्यर्थियों के पास किसी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम/प्रशिक्षण स्थान का कोई विकल्प नहीं होगा।			
4.	प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर ग्रेड: प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, प्रशिक्षण की अवधि के दौरान एवं प्रशिक्षण के अंत में आयोजित होने वाले साक्षात्कार में प्रशिक्षुओं द्वारा किये गये प्रदर्शन के आधार पर, नियुक्ति के समय निम्नलिखित ग्रेड में आमेलन हेतु विचार किया जाएगा।			
5.	वैतनिक प्रशिक्षु	पद	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	प्रारंभिक वेतन
	श्रेणी-I	वैज्ञानिक सहायक/सी	लेवल 7	रु.44900/-
	श्रेणी-II	तकनीशियन/बी	लेवल 3	रु.21700/-
		तकनीशियन/सी	लेवल 4	रु.25500/-
	प्रारंभिक वेतन के अलावा, केंद्र सरकार के नियमों के तहत भत्ते स्वीकार्य होंगे।			
	बॉन्ड: चयनित अभ्यर्थियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण को पूरा कर लेने के बाद अगर नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाता है तो उन्हें आमेलन के पश्चात, 3 वर्षों की अवधि के लिये वीईसीसी या पञ्चवी की किसी भी संघटक इकाइयों में सेवा प्रदान करने के लिये एक बंधपत्र (बॉन्ड) भरना होगा। अगर कोई प्रशिक्षु, आमेलन के बाद, प्रशिक्षण को पूरा करने में या सरकार को 3 वर्षों तक के लिये सेवा प्रदान करने में असफल रहता है, तो प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाले वेतन के बराबर की राशि और पुस्तक भत्ते की राशि, ब्याज के साथ, का भुगतान सरकार के खाते में करना होगा।			

VI. आवेदन कैसे करें?

1.	केवल ऑनलाइन माध्यम से किये गये आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।
2.	ऑनलाइन आवेदन की सुविधा 20.04.2021 से 20.05.2021 तक उपलब्ध रहेगी।
3.	आवेदन को ऑनलाइन जमा करने के लिए, केंद्र की वेबसाइट https://recruitment.vecc.gov.in पर जाएं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस केंद्र की वेबसाइट पर होमपेज पर दिये गये विकल्प “How to apply” में जाकर दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
4.	एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है, तो प्रत्येक पद के लिए अलग से आवेदन एवं शुल्क जमा करना होगा।
5.	अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (20.05.2021) की प्रतीक्षा किए बिना, ऑनलाइन आवेदन को पहले ही जमा कर दें।

आवेदन शुल्क:

1.	आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पीडब्ल्यूडी और महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क में छूट दी गई है।
3.	भूतपूर्व सैनिकों को 'ग्रुप सी' पदों के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।
4.	DR/02 और TR/01 से लेकर TR/04 तक के पदों के लिए आवेदन शुल्क रु.150 /- है।
5.	DR/03 से लेकर DR/05 तक और TR/05 से लेकर TR/12 तक के पदों के लिए आवेदन शुल्क रु.100/- है।
6.	आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी भरी जाये और उसे ऑनलाइन जमा किया जाये। अगर आवेदक को आवेदन शुल्क से छूट प्राप्त नहीं है, तो आवेदन के सफलतापूर्वक जमा हो जाने पर, आवेदक को,

	जैसा कि ऊपर बताया गया है, ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने का एक लिंक प्राप्त होगा। आवेदक को, ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को या उससे पहले, वीडिजीसी के भर्ती पोर्टल में जाकर अपने अकाउंट में लॉगिन करके, आवेदन शुल्क के भुगतान की स्थिति को भी अपडेट करना होगा। अगर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के भीतर आवेदन शुल्क के भुगतान की स्थिति को अपडेट नहीं किया जाता है, तो आवेदन को अस्वीकृत किया जा सकता है।
7.	आवेदन भरने और आवेदन शुल्क का भुगतान करने से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश केंद्र की वेबसाइट https://recruitment.vecc.gov.in के होम पेज पर "How to apply" मेन्यू में उपलब्ध है।
8.	एक बार भुगतान किये गये आवेदन शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा एवं उसे किसी अन्य भर्ती के लिए आरक्षित भी नहीं रखा जा सकता है।
9.	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को या उससे पहले, आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाये।
10.	आवेदन शुल्क जमा करने के दौरान, किसी भी प्रकार से ट्रांजैक्सन के असफल होने पर, वीडिजीसी इसका जवाबदेह नहीं होगा एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार के पत्राचार/रिफंड, जो भी हो, पर विचार नहीं किया जाएगा।

VII. सामान्य शर्तें:

1.	यह सुनिश्चित किया जाये कि ऐसे विश्वविद्यालय/संस्थान, जो दूरस्थ शिक्षा मोड (Distance Education Mode) से B.Sc. जैसे विषयों (Programmes) की पढाई करवाते हैं, वे दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (DEB-UGC) द्वारा मान्यता प्राप्त हों और तकनीकी विषयों (Programmes) के मामले में, ये विषय और साथ ही ऐसे संस्थान, जहां से उक्त अर्हता प्राप्त की गई हो, वे देश के शीर्षस्थ निकायों जैसे AICTE, NCTE, HRD मंत्रालय आदि से मान्यता प्राप्त हों।
2.	ऊपर दिखाई गई रिक्तियां अस्थायी और परिवर्तनशील हैं। विज्ञापन में दी गई रिक्तियों की भर्ती, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन हैं और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार, उन्हें नहीं भी भरा जा सकता है।
3.	जिन अभ्यर्थियों को "प्रतीक्षा सूची" की श्रेणी में रखा गया है, उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव तब ही दिया जायेगा जब "मुख्य सूची" में सूचीबद्ध कोई अभ्यर्थी कार्यग्रहण नहीं करता है।
4.	अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/ट्रेड परीक्षा/साक्षात्कार (जैसा लागू है) में पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देने के लिये, हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा का विकल्प दिया जायेगा।
5.	अनुभव की अवधि के साथ-साथ पात्रता संबंधी सभी मानदण्ड, जैसा कि विज्ञापन में निर्धारित किया गया है, को आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि (20.05.2021) से निर्धारित किया जायेगा।
6.	लिखित परीक्षा के लिये बुलाये गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बाहरी (आऊटस्टेशन) अभ्यर्थियों को, नियमानुसार, उनके आने-जाने से संबंधित यात्रा भत्ता का भुगतान, सबसे कम दूरी वाले द्वितीय श्रेणी के रेलवे भाड़े के अनुसार किया जायेगा। हालांकि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी, जो पहले से ही केंद्रीय/राज्य सरकार की सेवाओं, केंद्रीय/राज्य सरकार के निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय सरकारी संस्थानों अथवा पंचायतों तथा रेलवे द्वारा प्रदत्त रियायत प्राप्त करने वाले हों, यदि कोई, वे लिखित परीक्षा/शारीरिक मापदंड परीक्षा के लिये किये जाने वाले यात्रा से संबंधित यात्रा भत्ता पाने के हकदार नहीं होंगे। यात्रा भत्ता से संबंधित प्रपत्र को डाऊनलोड करने के लिये < https://recruitment.vecc.gov.in > Job Application/Download Forms/TA Claim Form लिंक पर जाकर क्लिक करें। • यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति और टिकट/ई-टिकट की प्रस्तुति के पश्चात ही की जायेगी।
7.	अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उन्होंने सभी सूचनाएं सही भरी हैं। जो अभ्यर्थी गलत सूचना भरते हैं, उन्हें लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। पऊसा केंद्र, कोलकाता, इसके अलावा, किसी भी समय, किसी भी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
8.	विज्ञापन में उल्लिखित अपेक्षित योग्यता के अलावा, अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्राप्त की गई शैक्षणिक योग्यता की घोषणा करनी होगी।

9.	अभ्यर्थियों के पास वैध ई-मेल आईडी व मोबाईल नंबर होना चाहिए जिसे भर्ती की इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखा जाना चाहिए। यह केंद्र निष्क्रिय मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर प्राप्त नहीं होने वाली किसी भी सूचना/मैसेज के लिये जिम्मेवार नहीं होगा।
10.	यह अनुसंधान केंद्र बिना किसी अतिरिक्त सूचना को जारी किये या बिना कोई कारण बताए, भर्ती की इस प्रक्रिया को भरने अथवा इसे निरस्त/सीमित/सुधार/परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
11.	चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती, रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के आधार पर होगा। उन्हें भारत के किसी भी हिस्से में और परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी संघटक इकाई में काम करना होगा। इसके अलावा, इयूटी में शिफ्ट में काम करना, जिसमें दिन-रात की शिफ्ट, क्षेत्र से संबंधित कार्य (फील्ड वर्क) और परिचालन क्षेत्रों में कार्य करना भी शामिल है।
12.	ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि (20.05.2021) तक विज्ञापन में निर्धारित अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं की है, वे पात्र नहीं होंगे और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
13.	यदि विश्वविद्यालयों/बोर्ड द्वारा लेटर ग्रेड/सी.जी.पी.ए./ओ.जी.पी.ए./एस.जी.पी.ए. प्रदान किया जाता है, तो अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा अपनाए जाने वाले मानदंडों के अनुसार, उक्त ग्रेड/सी.जी.पी.ए./ओ.जी.पी.ए./एस.जी.पी.ए. के बराबर वाले प्रतिशत को दर्शाना होगा। ऐसा न करने पर, अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय, संबंधित संस्था से उक्त लेटर ग्रेड/सी.जी.पी.ए./ओ.जी.पी.ए./एस.जी.पी.ए. को अंकों में रूपांतरित किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
14.	केंद्रीय/राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों आदि में कार्यरत अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के समय “अनापति प्रमाणपत्र” प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर उन्हें लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
15.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों को अपने आवेदन में स्पष्ट रूप से अपनी जाति (अगर अनारक्षित श्रेणी से आवेदन कर रहे हैं तो भी) को दिखाना होगा और लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार (जैसा कि लागू है) के समय निर्धारित प्रोफोर्मा में अपनी जाति के संबंध में प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर उन्हें अनारक्षित वर्ग की श्रेणी में मान लिया जायेगा और इसके पश्चात अभ्यर्थी द्वारा उनकी जाति के परिवर्तन के अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
16.	अभ्यर्थी कृपया केंद्र की वेबसाइट की जांच नियमित रूप से करते रहें। भर्ती से संबंधित सभी सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। वेबसाइट पर दिखायी गई सूचना के बारे में यह माना जायेगा कि इसके माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित कर दिया गया है।
17.	स्क्रिनिंग परीक्षा/लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के समय, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन और प्रवेश पत्र (जिसे केंद्र की वेबसाइट से डाऊनलोड किया जा सकता है) के प्रिंट आउट की एक प्रति के साथ-साथ, मूल रूप में अपने पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/वोटर कार्ड) से संबंधित दस्तावेज अपने साथ लायें। इसके अलावा, अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित सभी संबंधित दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति भी अपने साथ लायें।
18.	अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार (जैसा कि लागू है) के लिए 2 से 3 दिनों के लिए कोलकाता में रहने के लिए तैयार रहना होगा।
19.	भूतपूर्व सैनिक, जो उनके पुनर्नियोजन के लिये, उनको दिये जाने वाले आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के बाद, पहले से ही नियमित आधार पर सरकार का रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, वे भूतपूर्व सैनिकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को पाने के हकदार नहीं हैं।

VIII. स्क्रिनिंग परीक्षा/लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाणपत्रों की प्रतियां

1.	शैक्षणिक योग्यता, अनुभव (जैसा कि लागू है) और तकनीकी योग्यताएं (जिन विषयों की परीक्षाएं दी गईं, उन विषयों को प्रदर्शित करता हुआ अंक-प्रमाणपत्र*) (*सेमेस्टर/वर्षवार अंक-प्रमाणपत्र एवं समेकित प्रमाणपत्र)
2.	जिन अभ्यर्थियों के पास इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम का प्रमाणपत्र है, वे व्यक्तिगत डिग्री/डिप्लोमा प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं जैसा कि विज्ञापन में उल्लिखित है।
3.	जन्म तिथि / आयु संबंधी प्रमाण
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र (अनुलग्नक-1* में दिये गये निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र होना चाहिए)। उक्त जाति को, उस राज्य के संबंध में, राष्ट्रपति जी के आदेशों में शामिल होना चाहिए।
5.	अभ्यर्थी का अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाणपत्र, नॉन-क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र के साथ, केंद्र सरकार के निर्धारित प्रपत्र में, एक प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए और उनकी जाति/समुदाय, केंद्रीय सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल होनी चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉन-क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र की तिथि का निर्धारण, ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि (20.05.2021) से किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी, अनुलग्नक-2* में दिये गये प्रपत्र में अपने नॉन-क्रीमीलेयर की स्थिति के संबंध में एक स्वयं-घोषणापत्र भी संलग्न करेंगे। आयु सीमा में छूट और आरक्षण के प्रयोजन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणपत्र का अर्थ है "अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं हैं", जैसा कि भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.93 के का.ज्ञा. सं.36012/22/93-Estt.(SCT) में परिभाषित है एवं जो भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09/03/2004 के का.ज्ञा. सं.36033/3/2004-Estt.(Res), दिनांक 14/10/2008 के का.ज्ञा. सं.36033/3/2004-Estt.(Res.), दिनांक 27/05/2013 के का.ज्ञा. सं.36033/1/2013-Estt (Res) के अधीन संशोधित है एवं जिसका नवीनतम संशोधन, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13/09/2017 के का.ज्ञा. सं.36033/1/2013-Estt (Res.) (अनुलग्नक-3* में दिये गये प्रपत्र के अनुसार) किया गया है।
6.	सेवानिवृत्ति प्रमाणपत्र (केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिये लागू)
7.	महाराष्ट्र राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को दिनांक 23 मई, 2001 को महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना में प्रकाशित महाराष्ट्र राज्य के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विमुक्त जातियों, यायावरी जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग (निर्गमन और सत्यापन का विनियमन) जाति प्रमाणपत्र अधिनियम, 2000 के अनुसार, स्क्रूटिनी समिति का वैधता प्रमाणपत्र (Validity Certificate) प्रस्तुत करना होगा।
8.	शारीरिक दिव्यांगता के संबंध में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र [अनुलग्नक-4* में दिये गये निर्धारित प्रपत्र के अनुसार (दिव्यांग व्यक्तियों के लिये लागू)] I. दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 73 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 31/12/1996 को अधिसूचित दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियमावली, 1995 के अनुसार, शारीरिक दिव्यांगता का प्रमाणपत्र, केंद्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया जायेगा। केंद्रीय/राज्य सरकार, एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकती है जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे और जिनमें से, कम से कम एक सदस्य, संबंधित क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा। II. जिन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता अस्थायी है, उनका प्रमाणपत्र 5 वर्ष के लिये वैध होगा। जहां कहीं भी दिव्यांगता की अवस्था में परिवर्तन होने की संभावना हो, वहां मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र की वैधता की अवधि को दिखाया जायेगा। वैसे लोग, जिनकी दिव्यांगता स्थायी होती है, उनके प्रमाणपत्र की वैधता

	<p>की अवधि में “स्थायी” दिखाया जा सकता है। आवेदक द्वारा इस विषय में अभ्यावेदन किये जाने पर, मेडिकल बोर्ड द्वारा इस मामले से संबंधित सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों के संबंध में अपने निर्णय की जांच की जा सकती है और इस मामले में मेडिकल बोर्ड के अनुसार, जो भी सही हो, उससे संबंधित आदेश पारित कर सकती है।</p> <p>III. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित ऐसे दिव्यांग व्यक्ति, जो अन्य अभ्यर्थियों के साथ-साथ छूट के किसी मानदण्ड के बिना ही अपनी मेधा के आधार पर चयनित होते हैं, उन्हें अनारक्षित रिक्ति की श्रेणी में रखा जायेगा बशर्ते कि वह संबंधित वर्ग (जैसा कि लागू है) दिव्यांग व्यक्तियों के लिये चिह्नित की गई हो।</p>
9.	<p>ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण की योजना के अधीन नहीं हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग की श्रेणी में आते हैं, वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये आय व परिसंपत्ति प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करके आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग, यदि पात्र हैं, की श्रेणी का लाभ उठा सकते हैं। इस विज्ञापन के लिये, ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि को ही आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग से संबंधित आरक्षण की सुविधाओं का लाभ उठाने की स्थिति पर विचार किया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद जाति/आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग की स्थिति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर विचार नहीं किया जायेगा।</p> <p>आय व परिसंपत्ति प्रमाणपत्र को निर्धारित प्रपत्र में अनुलग्नक-5* के रूप में होना चाहिए।</p>
10.	<p>इस बात का प्रमाण कि वे 1984 के दंगों में प्रभावित हुए थे (अगर वे आयु में छूट की मांग कर रहे हों)</p>
11.	<p>दिनांक 01.01.1980 से लेकर दिनांक 31.12.1989 तक की अवधि के लिये कश्मीर प्रभाग में निवास करने का दावा (अगर कश्मीर प्रभाग के लिये आयु सीमा में छूट का दावा कर रहे हैं)</p> <p>निवास प्रमाणपत्र का प्रमाण: कोई भी अभ्यर्थी जो नियम-3 के तहत, स्वीकार्य आयु सीमा में छूट की सुविधा को प्राप्त करना चाहता है, उसे कश्मीर प्रभाग के जिला मजिस्ट्रेट, जिसके क्षेत्राधिकार में वह अस्थायी रूप से निवास कर रहा था, या जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा इस कार्य के लिये पदस्थापित ऐसे कोई भी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह उल्लेख हो कि वह अभ्यर्थी अस्थायी तौर पर दिनांक 01 जनवरी, 1980 से लेकर दिनांक 31 दिसंबर, 1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर प्रभाग में रह रहा था।</p>
12.	<p>कोई भी अन्य संबंधित प्रमाणपत्र (जैसा कि लागू है)</p>
	<p>*अनुलग्नकों को केंद्र की वेबसाइट https://recruitment.vecc.gov.in पर जाकर <Job Application → Download Forms> लिंक पर क्लिक करके प्राप्त किया जा सकता है।</p>
	<p>चेतावनी:</p> <ol style="list-style-type: none"> विज्ञापन में दी गई आवश्यकताओं को मात्र पूरा कर लेने से, कोई भी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा/शारीरिक मापदंड परीक्षा/साक्षात्कार के लिये अर्हता प्राप्त कर लेने का अधिकार प्राप्त नहीं कर लेता है। जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया जाता है, उनके किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दी गई सूचना के आधार पर ही उन्हें शारीरिक मापदंड परीक्षा/लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के लिये शॉर्टलिस्ट किया जायेगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा दी गई ऐसी सभी सूचनाएं सही हैं। अगर किसी भी समय या साक्षात्कार के समय, यह पाया जाता है कि उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दी गई सूचना या किया गया दावा गलत है, तो उनकी अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया जायेगा और उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई भी की जायेगी।
	<p>इस भर्ती के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद केवल कोलकाता न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।</p>
	<p>जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है, उनके रिकॉर्ड को, चयन सूची के तैयार होने की तिथि के 6 माह के बाद नहीं रखा जायेगा।</p>
	<p>किसी भी प्रकार की अनुयाचना/सिफारिश को अयोग्यता माना जायेगा।</p>

इस विज्ञापन के हिन्दी संस्करण में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर, सभी प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी संस्करण वैध माना जायेगा।